

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

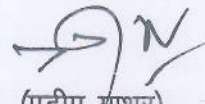
क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/ 615

दिनांक :- 4-10-16

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी
कम ब्लॉक प्रा0 शि0 अधिकारी,
बयाना

विषय :- श्री भगवान दास कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्र संख्या 137 दिनांक 21.09.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ14(88) एफ डी/रूल्स/2008-I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार श्री भगवान दास कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी देय होने की तिथि से 5 वर्ष तक आस्थगित रखने एवं परिनिन्दा के दण्ड के कारण 1 वर्ष और आस्थगित रखने के कारण अभी द्वितीय एसीपी स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

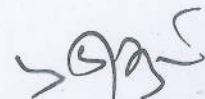

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/ 615

दिनांक :- 4-10-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपनिदेशक, एसीपी वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
2. श्री भगवान दास कनिष्ठ लेखाकार वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रा0 शि0 अधिकारी, बयाना


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)